



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56604

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 21/2026

X किशोर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजीत कुमार श्रीवास्तव, सौरभ

प्रतिवादी के अधिवक्ता : रमा शंकर यादव, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, प्रतिवादी के अधिवक्ता और राज्य के सरकारी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उसकी सगी माता के माध्यम से किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे आगे "न्याय एवं संरक्षण अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें याचिका को स्वीकार करने और माननीय बाल न्यायालय /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), अन्नानी, जौनपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 130/2025 ('X' किशोर, उसकी माता/अभिभावक बीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 08.12.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश तथा माननीय किशोर न्याय बोर्ड, जौनपुर द्वारा दिनांक 15.11.2025 को पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को मुकदमा अपराध संख्या 207/2025, बीएनएस की धारा 70(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5G/5M/6 के अंतर्गत थाना बरसाठी, जिला जौनपुर के मामले में जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 9 वर्ष 3 महीने है और वह नाबालिग है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता कम उम्र की थी और एफआईआर के अनुसार सह- आरोपी टिंकू ने उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने यह भी बताया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए बलात्कार का जिक्र नहीं किया है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया, यहाँ तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार किए बिना और उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत निहित कानून पर विचार किए बिना जमानत याचिका खारिज कर दी। यह भी निवेदन किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में अन्य अपराधियों की संगति में अपराधी के शामिल होने की आशंका का उल्लेख किया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जबकि परिवीक्षा अधिकारी ने अपने अभिलेख में मौजूद रिपोर्ट में ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की है। अपराधी 29.09.2025 से किशोर देखभाल गृह में है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।

विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि तीनों बच्चों ने लगभग 3 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और चिकित्सा परीक्षण के दौरान उसके गुप्तांग पर चोट के निशान पाए गए थे जो बलात्कार की पुष्टि करते हैं। यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो यह समाज के लिए लाभकारी नहीं होगा और इससे बच्ची के जीवन को खतरा हो सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा दिए गए निवेदनों और अभिलेखों के अवलोकन, एफआईआर की सामग्री, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान, याचिकाकर्ता की आयु, अवलोकन गृह में बिताए गए समय, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों और परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि किशोर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया और न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया।

इस प्रकार, इस पुनरीक्षण याचिका में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 15.11.2025 को और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

यह निर्देश दिया जाता है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता (अपराधी की माता) और दो जमानती द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ पुनरीक्षण याचिका पर जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) याचिकाकर्ता/माता यह वचन देंगी कि जमानत पर रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में नहीं आने दिया जाएगा और न ही उसे किसी नैतिक , शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने दिया जाएगा , और माता यह सुनिश्चित करेगी कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति न करे।
- (ii) याचिकाकर्ता/माता यह वचन देंगी कि किशोर उचित स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा , जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा , साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेगा और उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजन गतिविधियों में समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) किशोर और याचिकाकर्ता/माता प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
- (iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे , जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित समय- समय पर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

19 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूरज श्रीवास्तव

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।